IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

प्रशासन अनुभाग

104—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ—226001

भारतीय मानक ब्यूरो IS

मानक पथप्रदर्शक Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0— 1925/प्रशा0—एक/एम—112 **दिनांक—08.08.2013**

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निम्नानुसार सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः—

रिक्तियों का विवरण

क्र0	पदनाम/वेतनमान	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता	रिक्त पदों का विवरण एवं श्रेणी				योग
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक अभियन्ता(सिविल) वेतन बैण्ड–3, वेतनमान रू0 15600–39100 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400	देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी के पर्याप्त ज्ञान के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित संस्था अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% प्राप्तांक सहित स्नातक डिग्री अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समकक्ष डिग्री।	33	11	01	09	54
2	सहायक अभियन्ता(विद्युत) वेतन बैण्ड–3, वेतनमान रू0 15600–39100 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400	देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी के पर्याप्त ज्ञान के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित संस्था अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% प्राप्तांक सहित स्नातक डिग्री अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समकक्ष डिग्री।	02	01	–	–	03
3	अवर अभियन्ता (सिविल) वेतन बैण्ड–2, वेतनमान रू0 9300–34800 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200	मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% प्राप्तांक सहित डिप्लोमा तथा हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान।	32	10	05	26	73
4	अवर अभियन्ता(विद्युत) वेतन बैण्ड–2, वेतनमान रू0 9300–34800 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200	मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% प्राप्तांक सहित डिप्लोमा तथा हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान।	–	01	–	02	03

2. आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट–

उपर्युक्त तालिका में क्रमांक 1 व 2 पर अंकित पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2013 को 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा क्रमांक 3 व 4 पर अंकित पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2013 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0 प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितो के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल उ0 प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी। उ0 प्र0 के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिसूचित/चिन्हित पदों की उपलब्धता की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।

3. चयन प्रक्रिया–

यह केवल कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से सम्पन्न होगी एवं कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार श्रेष्ठता सूची के आधार पर ही चयन की कार्यवाही की जायेगी। कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट निर्धारित तिथियों में प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर कराया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा संबंधी जानकारियां एवं परीक्षा केन्द्रों का विवरण परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर उपलब्ध होगा। परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी, जो परिषद की वेबसाइट www.upavp.com से अभ्यर्थियों को डाउनलोड करना होगा। प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजा जायेगा। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी, परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। विभिन्न पदों के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट की तिथि/पाली अलग–अलग हो सकती है। ऑनलाइन टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम की सूचना दिनांक **17.08.2013 के** बाद परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर उपलब्ध होगी।

4. आवेदन शुल्क–

उक्त सभी पदो के लिए आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) + बैंक चार्जेज तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 500.00 (रू0 पॉच सौ मात्र) + बैंक चार्जेज ई–चालान/आन लाइन भुगतान के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क की वापसी हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5. आवेदन पत्र भरे जाने सबंधी निर्देशः–

अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा जो परिषद की बेबसाइट www.upavp.com पर उपलब्ध होगा तथा निर्धारित शुल्क ई–चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक की विभिन्न शाखाओं में जमा की जायेगी अथवा ऑनलाइन भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड/पंजाब नेशनल बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की प्रारम्भिक तिथि **17.08.2013** होगी एवं अन्तिम तिथि **06.09.2013** होगी। ई–चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि **07.09.2013** होगी। विलम्ब से प्राप्त होने वाले अथवा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर एवं पासपोर्ट साईज फोटो की स्कैन की हुई प्रति अपने पास तैयार रखेंगे, जिसकी आवश्यकता ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय होगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वैध ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल नम्बर का होना आवश्यक है तथा इन दोनों व्यवस्थाओं को नियुक्ति प्रक्रिया की समाप्ति तक चालू अवस्था में रखना आवश्यक है ताकि आवश्यक सूचनायें भेजी जा सकें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद प्राप्त **यू.पी.एच.बी. यूजर आई0डी0** एवं पासवर्ड अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा क्योंकि भविष्य में प्रवेश पत्र इसी **यूजर आई0डी0** एवं पासवर्ड से उपलब्ध होगा।

6. **आवश्यक निर्देशः—**

(i) अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) उक्त रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर आन लाइन ही आवेदन किया जा सकता है, अन्य प्रकार के आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

(iii) सार्वजनिक उद्यमों/सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं में सेवारत कार्मिकों का परिषद में चयन होने की स्थिति में उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मूल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(v) अन्य पिछड़ा वर्ग सबंधी जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या—22/16/92—टी0सी—III/का—2/2002 कार्मिक अनुभाग/2 दिनांक 22 अक्टूबर 2002 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो, ही मान्य होंगे।

(vi) विज्ञापन में किसी प्रकार की प्रकाशन त्रुटि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, विभाग का मूल विज्ञापन एवं परिषद की बेवसाइट पर प्रदर्शित विज्ञापन ही मान्य होगा।

(vii) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो अलग—अलग पदों के लिए अलग—अलग आवेदन पत्र भरे जायेंगे तथा अलग—अलग फीस जमा की जायेगी।

(viii) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अपने व्यय पर नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति दी जायेगी।

(ix) परिषद में कार्यभार ग्रहण करने के समय चयनित अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण—पत्र, अर्हता से सम्बन्धित समस्त प्रमाण—पत्र एवं अंकतालिका, चरित्र प्रमाण—पत्र, अन्य विभाग में कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण—पत्र, विकलांग होने की दशा में सक्षम स्तर से निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र मूलरूप में, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति सहित प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त माना जायेगा।

(x) भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में अन्य जानकारियाँ समय—समय पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वेबसाइट www.upavp.com से प्राप्त की जा सकती हैं। भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में सम्भावित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्न प्रकार होगी—

क्र0स0	**गतिविधि**	**संभावित तिथियां**
1	ऑनलाइन आवदेन पत्र भरने की अवधि	17.08.2013 से 06.09.2013
2	ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करना	09.09.2013 से 13.09.2013
3	ऑनलाइन परीक्षा	14.09.2013 व 15.09.2013

(xi) भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी हेतु टॉल फ्री नम्बर 1800—200—7111 एवं टॉल्ड नम्बर 0522—6007111 पर ही सम्पर्क किया जा सकता है, यह सुविधा दिनांक 17.08.2013 से 13.09.2013 तक प्रातः 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। प्रश्नगत जानकारी हेतु कार्यालय में किसी से सम्पर्क करना निषिद्ध है।

(xii) अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे और न ही इस विषय में अभ्यर्थी का कोई क्लेम मान्य होगा।

(xiii) रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(xiv) चयन परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परिषद से कोई यात्रा भत्ता तथा मार्ग व्यय आदि देय नहीं होंगे।

(xv) उपर्युक्त के अतिरिक्त सबंधित पद की सेवाविनियमावली में दी गई व्यवस्था एवं समय–समय पर जारी शासनादेश प्रभावी होंगे।

(xvi) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है अथवा गलत तथ्य/अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं तो किसी भी स्तर पर सबंधित अभ्यर्थी का आवेदन/चयन निरस्त किया जा सकता है।

(xvii) किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा तथा न्यायायिक क्षेत्र, लखनऊ होगा।

–ह/–

आवास आयुक्त